

भारत सरकार  
वस्त्र मंत्रालय  
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय  
48 न्यू मरीन लाईन्स(चर्चगेट),पो.बै.सं. 11500,  
न्यू सी.सी.ओ.बिल्डिंग, मुंबई-400 020  
फैक्स: 022-2200 4693 ई-मेल: [textilec@gmail.com](mailto:textilec@gmail.com)

सं 28(19)/2008-एम.एस./

दिनांक: 10.11.2008

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौदनियो)  
(01/04/2007 से 31/03/2012)

परिपत्र सं.06  
(2008-2009 श्रृंखला)

1. प्रौदनियो के अंतर्गत नॉन वूवन्स के लिए पात्र मशीनरी के संदर्भ में स्पष्टीकरण:

परिशिष्ट-डी 2 के अनु.क्र.जी (i) से जी (iv) एच तथा आई में उल्लिखित मशीनरी एवं परिशिष्ट-के के अनु.क्र. जी (i), एच एवं आई में उल्लिखित मशीनरी आशोधित प्रौदनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट डी -2 के पैरा (i) तथा परिशिष्ट -के अंतर्गत की गई टिप्पणी के अनुसार आशोधित प्रौदनियो के अन्तर्गत नॉन वूवन्स एवं नॉन वूवन्स के परिवर्तकों के लिए पात्र है:-

'उपरोक्त मशीनरी केवल नॉन वूवन्स तथा नॉन-वूवन्स के तैयार उत्पादों में परिवर्तकों के लिए पात्र है '

चूंकि टिप्पणी की प्रयोजनीयता के संबंध में संदेह उपस्थित हुआ है, उपरोक्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

प्रौदनि योजना में उपरोक्त स्पष्टीकरण/प्रकिया को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(श्रीमती शशी सिंह)  
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी नोडल अभिकरण /नोडल बैंक / सहयोजित प्रा.क्र.संस्थान ।
2. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
6. पटसन आयुक्त
7. सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
8. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक
9. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
10. सभी निर्यात संवर्धन केन्द्रों के कार्यपालक निदेशक ।
11. प्रमुख समाचार एजेंसी
12. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी
- 13 सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
14. प्रभारी अधिकारी, सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र,

प्रतिलिपि:

1. आईएमएससी तथा टीएमसी के सभी सदस्य ।
2. डॉ.जे.एन.सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली 110 011
3. श्री बी.एन.सिन्हा, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली 110 011
4. श्री विजय कुमार, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली 110 011

(श्रीमती शशी सिंह)  
संयुक्त वस्त्र आयुक्त